International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 01(I), January - March, 2023, pp. 101-105

महिलाओं के साथ भेदभावः हिंसा और उनकी प्रास्थिति

वीरेन्द्र प्रसाद यादव*
प्रो. (डॉ.) महालक्ष्मी जौहरी**

सार

भारतीय समाज में कन्या जन्म को एक मुसीबत, एक अभिशाप माना जाता है तो इसके पीछे कई सामाजिक कुरीतियां और भ्रातियां जिम्मेदार है। हमारा समाज पुरूष प्रधान है और यहां किसी लड़की को पालना–पोसना अपेक्षाकृत कुछ मुश्किल भरा होता है। हमारे यहां दहेज की परम्परा ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि लोग कन्या का जन्म होने पर ही घबरा जाते हैं। चूंकि भारतीय समाज पुरूष प्रधान और पितृसत्तात्मक है इसलिए बेटे को वंश चलाने वाला माना जाता है इसलिए प्रत्येक परिवार पुत्र जन्म को वरीयता देता है। यही कारण है कि बुजुर्ग लोग नवविवाहिताओं को पुत्रवती होने का ही आशीर्वाद देते है। हमारा समाज जो स्त्रियों के प्रति सर्वधा उपराम था, अब उन प्रश्नों पर बड़े गौर से विचार करने लगा है। स्त्रियों के बंधनों को काट देने के लिए अब चारों तरफ से आवाजें आने लगी है। प्रत्येक पढ़ा–लिखा आदमी स्त्रियों की आजादी के हक में सोचने लगा है। गरीब घरों के लोग भी लड़कियों को पढ़ाने लगे है। स्त्रियों की हमारे समाज में अब तक जो स्थिति रही है, उसके विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया हो रही है और यह प्रतिक्रिया ऐसे आंधी के वेग से हो रही है कि पुराने विचारों को जड़ से उखाड़ फेंके दे रही है।

शब्दकोशः *भारतीय समाज, भेदभाव, हिंसा, पितृसत्तात्मक, पुरूष प्रधान।*

प्रस्तावना

यूएन ने महिलाओं की स्थिति के आंकलन के लिए पहली बार बनाया जेंडर सोशल नार्म्स इंडेक्स दुनिया में हर 10 में से 9 लोग महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, पाकिस्तान में ऐसा करने वाले 99% और भारत में 98% दुनिया का 80% आबादी वाले 75 देशों क आधार पर रिपोर्ट।

लैंगिक समानता के क्षेत्र में सुधार के बावजूद आज भी करीब 90% लोग ऐसे है जो महिलाओं के प्रति भेदभाव या पूर्वाग्रह रखते हैं। 28% लोगों ने तो पत्नी की पिटाई तक को जायज बताया है। इनमें महिलाएं भी है। आधे से ज्यादा लोग मानते हैं कि पुरुष श्रेष्ठ राजनेता होते हैं, जबकि 40% के मुताबिक पुरुष बेहतर कारोबारी एग्जीक्यूटिव होते हैं। इसलिए जब अर्थव्यवस्था धीमी हो तो इस तरह के काम या नौकरियाँ पुरुष को मिलनी चाहिए।

यह खुलासा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की अपनी तरह के पहले जेंडर सोशल नार्म्स इंडेक्स में हुआ है। इससे दुनियां की 80% आबादी वाले 75 देशों में अध्ययन के आधार पर बनाया गया है। हालांकि 30 देशों में महिलाओं के प्रति सोच सुधरी है। यूएन के मानव विकास प्रमुख पैड़ों कॉन्सिकाओं ने कहा कि– स्कूलों में लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो गई है। 1990 के बाद से मातृत्व से जुड़ी बीमारियों से मौतों की संख्या भी 45% घटी है। इसके बावजूद लैंगिक असमानता बनी हुई है, खास तौर पर ऐसे क्षेत्रों में

* शोधार्थी, पी.के. विश्वविद्यालय, करैरा, शिवपुरी, म.प्र.।
** समाजशास्त्र विभाग, पी.के. विश्वविद्यालय, करैरा, शिवपुरी, म.प्र.।

जहां ताकत और पॉवर से जुड़े पदों चुनौती मिलती हों। एक जैसे काम के लिए उन्हें पुरुषों से कम वेतन मिलता है। वरिष्ठ पदों पर पहुंचने के अवसर भी कम मिलते हैं।

यूएनडीपी ने कहा है कि पुरुष और महिलाएं एक ही तरह से मतदान करते हैं, अगर दुनियां महज 24% संसदीय सीटों पर महिलाएं चुनी गई है। 1993 में से सिर्फ 10 (दस) देशों में सता की प्रमुख महिलाएं है। पुरुषों की तुलना में वे ज्यादा घंटों तक कामकाज करती है, फिर भी बहुत सा कामकाज ऐसा होता है, जिसका उन्हें कोई अच्छा मेहनताना भी नहीं मिलता।

भारत में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 19% कम सैलरी मिलता है। भारत में कार्यस्थल पर जेंडर गैप यानी पुरुष और महिलाओं के बीच भेदभाव अब भी काफी ज्यादा है। जॉब बेवसाइड मास्टर की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को एक समान काम के लिए पुरुषों की तुलना मं 19% सैलरी कम मिलती है। यह रिपोर्ट 2018 के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। 2017 में यह अंतर 20% था। यानी एक साल में 1% की कमी आयी है। पुरुषों को महिलाओं की तुलना में प्रति घंटा काम के लिए 46.19 रुपये ज्यादा मिलते हैं। पुरुषों को प्रति घंटा औसत सैलरी 242.49 रुपये है। महिलाओं को 196.3 रुपये मिलते हैं। सबसे ज्यादा जेंडर गैप भेदभाव आइरी क्षेत्र में है।

यहाँ पुरुषों को महिलाओं की तुलना में 26% ज्यादा सैलरी मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में पुरुषों को 28% ज्यादा पैसे मिलते हैं। हैरत की बात है कि हैल्थ केयर के तहत सबसे ज्याा केस बिहार में दर्ज हुए है। कानून बनने के बाद यहाँ 2014 और 2015 में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ था। लेकिन 2016 में 73 केस दर्ज हुए जो देश में सबसे ज्यादा है। हाल में ही ये जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोक सभा में दे दी है। 2014 में देश भर में 57, 2015 में 119 और 2016 में 142 केस इस कानून के तहत दर्ज किए गए। 2015 में कुल 119 मामले दर्ज हुए। इसमें सबसे ज्यादा 36 मामले दिल्ली में दर्ज हुए। इसी तरह तेलंगाना में 32 और महाराष्ट्र में 27 मामले सामने आए। हालांकि 2016 में इन तीनों राज्यों में ऐसे मामले में कमी आई। इस साल दिल्ली में 9 तेलंगाना में 8 और महाराष्ट्र में 11 मामले दर्ज हुए। जबकि 2014 में भी दिल्ली में 11 और महाराष्ट्र में 10 मामले सामने आए या पूर्व के सबसे बड़े राज्य पं0 बंगाल में 2016 में एक भी मामले सामने नहीं आया।

वे राज्य जहां नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए–

राज्य	2014	2015	2016	नौकरी पेशा महिलाएं
बिहार	0	0	73	17.8%
दिल्ली	11	36	9	11.7%
महाराष्ट्र	10	27	11	32.8%
तेलंगाना	5	32	8	42.7%
आन्ध्र प्रदेश	3	3	7	47.0%
केरल	6	0	8	23.7%
पं0 बंगाल	4	6	0	20.5%

वे राज्य जहां नौकरी करने वाली महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा केस एक भी नहीं

राज्य नौकरी पेशा महिलाएं		इन राज्य में केस एक भी नहीं
मिजोरम	59%	अरूणाचल, मणिपुर
नागालैंड	56.9%	मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर
अरूणाचल	51.6%	पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा
मेघालय	49.9%	सिक्किम, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, द्वीप
सिक्किम	48.2%	दादर
त्रिपुरा	45.3%	नगर हवेली, दमन दीव
मणिपुर	46.4%	पांडुचेरी

अंकिता भारद्वाज द्वारा 2020–21 की रिपोर्ट

क्र.सं.	हिंसा	प्रतिशत
1.	घरेलू हिंसा	53.86%
2.	दहेज प्रताड़ना	14.21%
3.	छेड़छाड़	1.08%
4.	यौन शोषण	1.25%
5.	मानसिक प्रताड़ना	10.25%
6.	सम्पत्ति विवाद	1.67%
7.	बाल विवाह	10.55%
8.	मानव तस्करी	0.21%

घरेलू हिंसा

क्र.सं.	वर्ष	संख्या
1.	2016	212
2.	2017	325
3.	2018	328
4.	2019	268
5.	2020	221
6.	2021	82

दूसरी तरफ भारतीय महिलाएं दिन–प्रतिदिन अपने कौशल एवं साहस का परिचय दे रही है। कभी आंतरिक्ष में भारतीय ध्वज लहराकर, कभी विश्व के सबसे लम्बे खतरनाक वायु मार्ग पर विमान उड़ाकर, कभी युद्ध विमान को कलाबाजियां खिलाकर यानी जटिल क्षेत्र भी महिलाओं ने अपने अदम्य साहस हौसले एवं सूझबूझ का परिचय दिया है। परन्तु दुर्भाग्यवश महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव, दुराचार एवं हत्याओं की खबरों ने मन को उद्वेलित कर रहा है। परन्तु हमारे देश के अति दूषित मानसिकता रखने वाले कलंकी लोगों का एक कुरूपित चेहरा है, जो नारी को शोषण करता है। देश में अनेकानेक घटनाएं ऐसी भी हो चुकी है, जिससे पता चलता है कि महिलाएं जब अपनी शिकायत दर्ज करने पुलिस चौकी या थाने पहुंचती है, उस समय पीड़ित महिला से इस तरह से इतने सवाल किये जाते हैं कि जैसा सारा दोषी पीड़ित महिला का ही है।

इससे भी बड़ी त्रासदी यह है कि पुरुषों की ज्यादती की शिकार यही महिला अपने साथ होने वाली घटनाएं के बाद बुरी एवं अपमान जनक नजरों से देखी जाती है। जैसे अपने साथ हुई ज्यादती की जिम्मेदारी पुरुष नहीं बल्कि वह स्वयं है।

एक ओर तो भारतीय महिलाएं अपने साहस कौशल पराक्रम एवं हौसले का लोहा मनवाते हुए नित्य नये कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उधर पुरुष समाज को कंलित करने वाले सरफिरे नारी स्मिता की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं रखना चाह रहे हो एक ओर हमारे ही देश में अभी तक यही निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि आर्थिक शोषण, यौन शोषण, शारीरिक शोषण एवं मानसिक शोषण की परिभाषाएं क्या हो। हमारे देश के न्यायालय यही तय कर रही है कि पुरुष को किस सीमा को आर्थिक शोषण, यौन शोषण, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण माना जाए। वैसे तो नीतिशास्त्र के लोगों का मानना है कि मन में किसी तरह पाप का विचार आना ही पाया किये जाने के समान होता है। पश्चिमी देशों में लोग अपने बच्चों की शारीरिक स्पर्श को 'गुड़ डच एवं बैड डच' के रूप में अलग–अलग तरीकों से शिक्षित करते हैं। महिलाओं में पर्दा एवं घुघंट प्रथा के पीछे का भी कढवा सच यही है कि औरत गैर पुरुषों कुदृष्टि से बची रहे। हर जगह पुरुष को पूरी छूट एवं स्वतंत्रता है जबकि महिलाओं को ही सारे परदे, घुघंट एवं सुरक्षा सम्बन्धी उपाय करने जरूरी बताये गये है।

अफसोस इस बात का भी है कि भारत सहित पूरी दुनिया की महिलाएं जहाँ इतिहास में अपनी शौर्यगाथाएं दर्ज करा रही है। वहीं हम नारी अस्मिता को सम्मान देने के कीर्तिमान स्थापित करने की बजाय अब तक यौन शोषण, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण नित्य नये–नये तर्क व्यस्त है।

वैदिक काल से ही महिलाओं को देवी का दर्जा प्राप्त हैं लेकिन कुछ समय तक हमारे समाज में महिलाओं को सामाजिक और संवैधानिक समानता का अधिकार प्राप्त नहीं था, बड़े–बड़े मंचों पर हमेशा से महिलाओं को समान अधिकार देने की बात होती रही है लेकिन उनके हक को पुरुष प्रधान समाज मार लेते हैं, और न्यायालय भी सही समय पर न्याय नहीं दिला पाते हैं। महिलाओं के साथ न्याय तभी होगा जब उनके हक को कोई मार न ले।

महिलाओं को रूढ़िवादी बंधनों से मुक्त किया गया है। हम जानते हैं कि महिलायें किसी रुप में पुरुषों की तुलना में कम काबिल नहीं है। इसलिए हमारे पुरुष प्रधान समाज एवं न्याय व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि लिंगभेद नहीं हो, किसी महापुरुष ने कहा है कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब वहाँ की महिलाएं सशक्त होगी, इसे अमल करते हुए हम सभी को महिलाओं के प्रति अपनी शोच को बदलनी होगी। ऐसे में महिलाओं के घरेलू श्रम को समान दे बल्कि उनकी आर्थिक कीमत समझ के पहलू पर भी यह निर्णय विचारणीय होना चाहिए।

भारत की कई राज्यों में इस मुद्दे को लेकर मचे घमाशान और समान जनता का भी ध्यान अपनी ओर खींचा और इस समस्या के अस्थाई संविधान के लिए कठोर कानून बनाने की राज्य सरकारों से मांग की गई और सभी सरकारों ने इन घटनाओं को गम्भीरता पूर्वक संज्ञान लिया और कड़े कानून बनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय के साथ समाज का हर व्यक्ति है, क्योंकि स्त्री सुरक्षा के लिए यह एक सार्थक पहल में भी है।

भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के उपाय

- शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना।
- समान अधिकार प्रदान करना।
- राजनीतिक क्षेत्र में समान निर्वाचन व्यवस्था करना।
- प्रशासन क्षेत्र में समान अधिकार प्रदान करना।
- सामान्य न्याय एवं कानून प्रदान करना।
- सामाजिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों को समाप्त करना।
- नौकरियों में समान अवसर प्रदान करना।
- समान आरक्षण व्यवस्था करना।
- पुरुष प्रधान मानसिकता को खत्म करना।
- समान रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- जीवन जीने के क्षेत्र में जागरूकता प्रदान करना।
- नमनीयता एवं उदारता प्रदान करना।
- सामाजिक नेतृत्व प्रदान करना।
- पितृसत्ता में समानता।
- समान स्वतंत्रता प्रदान करना।
- समान विकास योजनाओं का निर्माण करना।
- समान सामाजिक जीवन प्रदान करना।

निष्कर्ष एवं सुझाव

हम कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान समान यदि महिलाओं सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान कर उनके अधिकार को दिया जाए तो उस देश में युद्ध की आशंका कम होगी। उस देश के बच्चों की तबियत सुधरेगी और आम लोगों का भी ज्यादा से ज्यादा जीवन स्तर में सुधार होगा, क्योंकि हाल में ही सनामरीन फिन लैंड की प्रधानमंत्री बनी है और उनकी उम्र दुनिया में प्रधानमंत्री बनने वालों में सबसे कम है, बात सिर्फ तारीफ की नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि पुरुषों की इस दुनिया में महिलाएं अस्तित्व के लिए आज भी जेहेद कर रही है। अध्ययन के माने तो सत्ता में महिलाओं को होने से सरकार की शांतिपूर्ण नीतियां बनाने की सम्भावना बड़ जाती है पर दूसरी ओर यदि जमीनी उदाहरणों को गिनने जाए तो उन देशों में जहाँ पीएम प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति महिला है उनके ज्यादा उग्र विवादों में शामिल होने के किस्से देखने को मिलते हैं, शायद इसलिये क्योंकि दुनिया में कई देश के समाज महिला नेताओं को कमजोर मानते हैं और इस छवि को झूठा साबित करने के लिए महिला नेता कई बार कुछ ज्यादा ही आक्रमक हो जाती है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी और 1971 के उस युद्ध को जिक्र किया जाना लाजिम है। लकीर का फकीर तो यहीं मानते हैं कि महिलाएं राष्ट्र सुरक्षा जैसे मामलों को निपटाने एवं सुलझाने के लिए जरा भी उपयुक्त नहीं है तो हजारो दूके एक वैश्विक सर्वे में शामिल 61 प्रतिशत लोगों ने माना था कि पुरुष किसी देश के सिर्फ तीन प्रतिशत लोगों ने महिलाओं पर भरोसा जताया था वहीं वाकी बचे लोगों ने दोनों के बराबर वोट दिये थे। हुकूमत एवं अपने अधिकार को होने से नफा और नुकसान की गणना से पहले बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक और नेतृत्व वाले इलाकों में उन्हें किस हद तक स्वीकार किया गया होगा और अब तक उनकी किसी के हुकूमत को ट्रॉफी की तरह देखा जाए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अंकिता भारद्वाज की 2020–21 रिपोर्ट।
2. राष्ट्रीय महिला आयोग 2020 की रिपोर्ट।
3. नीति आयोग द्वारा सतत विकास सूचकांक 2020–21 की रिपोर्ट।
4. एनसी.डब्ल्यू. (NCWU) के आंकड़े की रिपोर्ट।
5. मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन।
6. पीपुल्स अगेंस्टर रेप इन इंडिया की प्रमुख महिला अधिकारी कार्यकर्ता योगिता मायना द्वारा दिया हुआ रिपोर्ट।
7. स्त्री की दुनिया– मधुरेश पेज सं.–1 से 9
8. स्त्रियों की स्थिति– चंद्रावती लखनपाल पेज सं.–67

❖◆❖